रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2018/भाद्र 1, 1940
No. 591] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2018/BHADRA 1, 1940

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 799(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर तारीख 02 नवंबर, 2008 को तेहरान मे हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन की लिखतों का नई दिल्ली में तारीख 17 फरवरी, 2018 को आदान-प्रदान किया गया था;

और इस संधि के अनुच्छेद 20 के पैरा (2) उपबंधों के अनुसार तारीख 17 फरवरी, 2018 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है की उक्त अधिनियम के अध्याय-3 के उपबंधों से भिन्न उपबंध, ईरान इस्लामी गणराज्य को उक्त प्रत्यर्पण संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

"भारत गणराज्य की सरकार और ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि"

भारत गणराज्य की सरकार तथा ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद "पक्षकार" कहा गया है;

अपराधियों को एक दूसरे को प्रत्यर्पित करने की व्यवस्था बनाकर अपराध का दमन करने में दोनों पक्षों के सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से; यह मानते हुए कि आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस उपाय करने आवश्यक हैं

नीचे दिये अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद एक

प्रत्यर्पण का कर्तव्य

(1) प्रत्येक पक्षकार इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अध्यधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो अनुच्छेद दो में यथा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए अभियोगी या सिद्धदोष है जिसे एक पक्षकार के क्षेत्र किया गया है और वह दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में पाया जाता है चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो, दूसरे पक्षकार को उसका प्रत्यर्पण करने का वचन देगा।

(2) **इ**स संधि के अनुच्छेद दो में यथा-विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र से बाहर किया गया हो, किंतु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार हो, बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के पास समान परिस्थितियों में, ऐसे अपराध का क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार, अपराध की संगीनता समेत मामले की सभी परिस्थितियों का ध्यान रखेगा।

(3) इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 2 में यथा-विनिर्दिष्ट किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा, यदि उस अपराध अनुरोधकर्ता पक्षकार के राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे देश में किया गया हो और अनुरोधकर्ता पक्षकार अपराधी की राष्ट्रियता पर अपना न्यायिक अधिकार स्थापित करता हो ; और यह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अंतर्गत एक ऐसा अपराध होगा जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है।

अनुच्छेद - दो

प्रत्यर्पण अपराध

इस संधि के प्रयोजनों हेतु एक प्रत्यर्पणीय अपराध ऐसे आचरण द्वारा किया जाता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानून के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कैद हेतु दंडनीय हो।

अनुच्छेद - तीन

संयुक्त अपराध

प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा चाहे अपेक्षित व्यक्ति का कृत पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में ही क्यों न हुआ हो, यदि उस पक्षकार के कानून के तहत कथित कृत और उसका प्रभाव अथवा उसके निहित आशय को समग्र रूप से अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र मे प्रत्यर्पणीय अपराध करना माना जाएगा।

अनुच्छेद-चार

प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधार

(1) प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है यदिः

(क) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है वह अपराध को अंजाम देते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार देश का नागरिक हो;

(ख) व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को संतुष्ट कर देता है कि उसे प्रत्यर्पित किया गया जाना अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि यह कालातीत हो गया है ;

(ग) प्रत्यर्पण का अनुरोध, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के स्वदेशी कानूनों अथवा संविधान के विपरीत हो ; और

(घ) अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गयाह ओ या ऐसा दोषारोपण किया गया हो जो कि राजनीतिक प्रकृति का हो। तथापि, निम्नलिखित को रानीतिक प्रकृति का अपराध नहीं माना जाएगा।

(i) हत्या, गैर-इरादतन मानव हत्या, शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला हमला, अपहरण या बंधक बनाया जाना;

(ii) आतंकवाद से संबंधित अपराध आग्नेयास्त्र अथवा अन्य हथियारों या हथियारों या विस्फोटकों या खतरनाक प्रदार्थों से संबंधित अपराध अथवा जन सुविधाओं को अस्त-व्यस्त करने या सम्पत्ति को बेहद क्षति पहुंचाने वाले अपराध शामिल हो;

(iii) अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के कार्यक्षेत्र के भीतर कोई अपराध, जिसके पक्षकारो में दोनों पक्ष शामिल हों; तथा

(iv) उपर्युक्त में से किसी को अंजाम देने के लिए किया गया प्रयास अथवा षड्यंत्र।

(2) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है बशर्ते उस व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, पर उस पक्षकार के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

(3) किसी व्यक्ति, जिसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दोषी करार दिया गया हो, को उस समय तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वांक्षित व्यक्ति की सजा कम से कम 6 महिने की कैद की सजा न दी गई हो।

(4) किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र मे विरोध के तौर पर चला गया हो, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई हो तो वह किसी पूर्व रिहाई अथवा दोषसिद्धि से संबंधित अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के किसी नियम के तहत छोड़े जाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद-पाँच

प्रत्यर्पण और अभियोजन

(1) यदि इस संधि के अनुच्छेद 4 के खंड 1 (क) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्यर्पण से इंकार किया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाएगा और अपने न्यायालयों में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगा। ऐसे मामलों में अनुरोधकर्ता पक्षकार अपराध से संबंधित कारण एवं साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को मुहैया कराएगा।

(2) जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अन्य खंडों में निहित कारणों के लिए प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार इंकार कर देता है, वहां इस मामले को सक्षम प्राधिकारियों के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे की अभियोजन पर विचार किया जा सके। ऐसे प्राधिकारी अपना निर्णय उसी तरीके से लेंगे जैसा की पक्षकार के कानून के अंतर्गत संगीन प्रकृति के किसी अपराध के मामले में लिया जाता हों।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुसार फिर से विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद-छह

समर्पण का स्थगन

(1) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में वांछित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है, अथवा आपराधिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे कानूनी तौर पर रोक लिया जाता है, तो उसे प्रत्यर्पित किए जाने अथवा नहीं किए जाने के निर्णय को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि आपराधिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती अथवा उसे और अधिक नहीं रोका जाता।

(2) ऐसे वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार उसे प्रत्यर्पण योग्य पाए जाने का निर्णय नहीं ले लिया गया हो।

अनुच्छेद - सात

प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं

(1) इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनीतिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

(2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

(क) वांछित व्यक्ति के यथासंभव सही विवरण जिसके साथ कोई अन्य जानकारी भी हो जिससे उसकी पहचान, राष्ट्रियता और निवास को साबित करने में मदद मिले जिसमें संभव हो तो उसकी फोटो और उंगलियों की छाव भी शामिल हो;

(ख) अपराध के तथ्यों का एक विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है; और

(ग) कानून का पाठ, यदि कोई हो, जो

(i) उस अपराध को परभाषित करता हो; और

(ii) अपराध की अधिकतम सजा का उल्लेख करता हो।

(3) यदि अनुरोध किसी दोषी व्यक्ति से संबंधित है तो इसके साथ अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट भी होना चाहिए और इसके साथ ऐसे साक्ष्य भी हों जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाए का औचित्य साबित करें, साथ ही ऐसे साक्ष्य भी हों जो साबित करता हो की वांछित व्यक्ति वही है जिसका वर्णन गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

(4) यदि यह अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जो पहले से ही दोषसिद्ध कर दिया गया हो और उसे सजा सुना दी गई हो, तो इसके साथ निम्नलिखित भी होंगे:

(क) सिद्धदोष और सजा संबंधी एक प्रमाण-पत्र;

(ख) एक विवरण जिसमें कहा गया हो की वह व्यक्ति सिद्धिदोष या सजा संबंधी प्रश्न करने का हकदार नहीं है तथा जिसमें यह बताया गया हो की कितनी सजा को कार्यावन्ति किया जाना शेष है।

(5) यदि कोई सिद्धदोष व्यक्ति अपने मुकदमे के दौरान उपस्थित न हुआ हो, तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रोजनार्थ उस व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा मानो कि वह उसी अपराध का आरोपी हो, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था।

(6) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह समझता है कि इस संधि के प्रोजनार्थ भेजी गयी सूचना अथवा पेश कि गए साक्ष्य किए गए अनुरोध के संबंध में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा अपेक्षित किसी भी अवधि के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत कि जाएगी ।

अनुच्छेद – आठ

अनंतिम गिरफ्तारी

(1) अत्यावश्यक मामलों में अनुरोधकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के आवेदन पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार वांछित व्यक्ति की अनंतिम से गिरफ्तार किया जा सकता है । आवेदन में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के आशय को संकेत एवं उसके विरुद्ध दोषसिद्धि अथवा गिरफ्तारी के वारंट की मौजूदगी का विवरण तथा यदि उपलब्ध हों तो उसका विवरण एवं ऐसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, शामिल की जाएगी, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में किए गए किसी अपराध के लिए वांछित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने अथवा उसे दोषी ठहराए जाने का औचित्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा ।

(2) यदि ऐसे आवेदन पर गिरफ्तार व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी गिरफ्तारी की तारीख के 60 (साठ) दिन पूरे होने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा । यदि बाद में अनुरोध प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रावधान से वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए आगामी कार्यवाही प्रारम्भ करने से कोई बाधा नहीं आएगी ।

अनुच्छेद – नौ

विशिष्टता के नियम

(1) इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में वापस भेजे गए किसी भी व्यक्ति पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अवधि के दौरान अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में निम्नलिखित के अलावा उस भू-भाग में लौटने से पहले किए गए अथवा उससे संबंधित किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:-

(क) ऐसा अपराध जिसके लिए उसे वापस भेजा गया हो;

(ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया हिय, उसे छोडकर उसकी वापसी के प्रयोजनों हेतु प्रमाणित तथ्यों द्वारा अनावृत अपेक्षाकृत कम अपराध, जिसके संबंध में उसकी वापसी के लिए कानूनी रूप से आदेश पारित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ग) कोई अन्य अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार ने मुकदमा चलाने की सहमति दी है, उसके अलावा कोई ऐसा अपराध, जिसके लिए उसकी वापसी का आदेश कानूनी रूप से पारित नहीं किया जा सकता अथवा वास्तव में पारित नहीं किया जाएगा।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अवधि वह अवधि है, जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में उसके आगमन अथवा इस संधि के अंतर्गत उसकी वापसी के दिन से शुरू होती है तथा अनुरोधकर्ता पक्षकार का भू-क्षेत्र छोड़ने के लिए प्राप्त अवसर के बाद के पहले दिन के 30 (तीस) दिन के पश्चात समाप्त होती है ।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रावधान इस संधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की वापसी के बाद किए गए किसी अपराध अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों पर लागू नही होंगे ।

(4) कोई व्यक्ति किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति को छोड़कर जब उसके पास उस पक्षकार का भू-क्षेत्र को छोड़ने का अवसर हो, जिसमें उसने समर्पण किया है, परंतु अपनी अंतिम रिहाई के 30 (तीस) दिनों के भीतर उसने ऐसा नहीं किया है अथवा वह उस भू-क्षेत्र को छोड़ने के बाद वहां वापस आ गया है ।

अनुच्छेद-दस

साक्ष्य

(1) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी कार्यवाही में शपथ पर अथवा स्वीकारोक्ति के माध्यम से दिये गए किसी साक्ष्य को, किसी वॉरेंट को तथा किसी न्यायिक दस्तावेज़ अथवा उसके प्रमाणपत्र, जिसमें दोषसिद्धि का तथ्य दिया गया हों, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, यदि वह अधिप्रमाणित है :-

(क) (i) उस मामले में जहां अनुरोधकर्ता पक्षकार के कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी किसी वारंट पर हस्ताक्षर करे अथवा किसी मूल दस्तावेज़ को प्रमाणित करे ।

(ii) या तो कुछ गवाहों की शपथ द्वारा या अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के उपयुक्त मंत्रालय की सरकारी मुहर से मोहरबंद करके; अथवा

(ख अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अंतर्गत स्वीकार्य किसी अन्य तरीके से ।

(2) पैराग्राफ I में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार की प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाही में स्वीकार्य होंगे, चाहे अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अथवा किसी तीसरे राज्य में उनकी ली गई हो अथवा पुष्टि की गई हो।

अनुच्छेद-ग्यारह

प्रतियोगी अनुरोध

यदि कोई पक्ष अथवा तीसरा राज्य, जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार की प्रत्यर्पण व्यवस्था है, उसी अपराध के लिए अथवा किसी भिन्न अपराध के लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह निर्धारित करेगा कि वह व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाता तथा वह उस पक्ष को वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद-बारह

मृत्युदंड

यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून में अंतर्गत वांछित व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, परंतु अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून में ऐसे मामलों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्षकार ऐसा आश्वासन न दे, जिसे कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार पर्याप्त समझता है कि मृत्युदंड कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-तेरह

समर्पण

(1) यदि प्रत्यर्पण स्वीकार किया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के प्राधिकारी वांछित व्यक्ति को अपने भू-क्षेत्र से निकालकर अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा बतलाए गए किसी सुविधाजनक स्थान पर भेज देगा।

(2) अनुरोधकर्ता पक्षकार एक महीने के भीतर अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अंतर्गत यथा-अनुमति लंबी अवधि भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र से वांछित व्यक्ति को ले जाएगा, यदि उस अवधि के भीतर वांछित व्यक्ति को नहीं ले जाया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित करने से मना कर सकता है।

अनुच्छेद-चौदह

संपत्ति की सुपुर्दगी

(1) जब प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तब अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध किए जाने पर तथा जहाँ तक उसके कानून के अंतर्गत स्वीकार्य है, अनुरोधकर्ता पक्षकार को समान (धनराशि सहित) को सौंप देगा, जो अपराध के साक्ष्य अथवा सबूत के रूप में माना जाएगा।

(2) यदि विचारधीन सामान अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में जब्त अथवा कुर्क किया जाना है, तो वह कार्यवाही चलने तक उस सामान को अस्थायी रूप से रख सकता है अथवा इस शर्त पर उन्हें सौंप सकता है कि उस सामान को वापस कर दिया जाएगा।

(क) सिद्धदोष और सजा संबंधी एक प्रमाण-पत्र;

(ख) एक विवरण जिसमें कहा गया हो कि वह व्यक्ति सिद्धदोष या सजा संबंधी प्रशन करने का हकदार नहीं है तथा जिसमें यह बताया गया हो कि कितनी सजा को कार्यावित्न्त किया जाना शेष है।

(3) ये प्रावधान अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार या वांछित व्यक्ति से इतर किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं करेंगे। जब ये अधिकार बिधमान होंगे तब ये मंदे अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को कार्यवाही समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र बिना प्रभार के वापस कर दी जाएगी।

अनुच्छेद-पंद्रह

प्रत्यर्पण में पारस्परिक विधिक सहायता

प्रत्येक पक्षकार अपने कानून द्वारा अनुमति दी गई सीमा तक इस अपराध, के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध किया गया है आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के व्यापकतम उपाय दूसरे पक्षकार को प्रदान करने के प्रयास करेगा।

अनुच्छेद-सोलह

दस्तावेज़ तथा व्यय

(1) सभी प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध और दस्तावेज़ अनुरोधकर्ता पक्षकार की राजभाषाओं में से एक भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी होगा।

(2) प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के कारण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भूक्षेत्र में हुआ व्यय उसी पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार वह सारे बंदोबस्त करेगा जो ऐसे अनुरोध से उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों में अनुरोधकर्त्ता पक्षकार के प्रतिवेदन के संबंध में वांछित हो।

अनुच्छेद-सत्रह

अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अंतर्गत दायित्व

वर्तमान संधि से पक्षकारों के वे अधिकार और दायित्व प्रभावित नहीं होंगे जो उन अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न हुए हों जिनके वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद-अट्ठारह

केन्द्रीय प्राधिकरण

1. इस संधि के अधीन प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पक्षकारों के केन्द्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाएंगा।

2. भारत गणराज्य में केन्द्रीय प्राधिकरण विदेश मंत्रालय है और ईरान इस्लामी गणराज्य में केन्द्रीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण (न्याय मंत्रालय) है।

अनुच्छेद-उन्नीस

विवादों का निपटारा

इस संधि के क्रियान्वयन और निर्वचन के कारण उत्पन्न किसी तरह के विवाद का निपटान पारस्परिक परामर्श और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

अंतिम प्रावधान

(1) वर्तमान संधि इसके प्रवृत होने के उपरांत किए गए अनुरोध के संबंध में लागू होगी चाहे भले ही उस तिथि से पहले संगत कृत्य या चाकू हुआ हो।

(2) इस संधि को दोनों पक्षकारों के संविधान और घरेलू कानूनों में कि गई विधिक औपचारिकताओं के अनुसार अनुसमर्थित प्रदान किया जाएगा और यह उस तिथि को प्रभावी होगी जब एक पक्षकार द्वारा इस संधि को प्रवृत करने हेतु सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी कर लेने पार दूसरे पक्षकार को अंतिम नोटिस दिया जाए।

(3) दोनों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है; और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो इस संधि का प्रभाव नोटिस प्राप्त करने के छह माह उपरांत समाप्त हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों से इसके विधिवत् प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

तेहरान में नवम्बर 2008 के द्वितीय दिन हिंदी, परसियन और अंग्रेजी में दो-दो प्रतियों में संपन्न सभी भाषाएं समानरूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी संशय कि स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

एस.डी/-

महामहिम. प्रणब मुखर्जी
विदेश मंत्री

ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार
की ओर से

एस.डी/-

महामहिम.
न्याय मंत्री

[फा. सं. टी-413/07/2007]

अमृत लुगुन, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 14th August, 2018

G.S.R.799(E).__WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the Islamic Republic of Iran was signed at Tehran on 02nd day of November, 2008 and the Instruments of Ratification of the said Treaty were exchanged at New Delhi on 17th day of February, 2018;

AND WHEREAS, the said Treaty entered into force with effect from the 17th day of February, 2018 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 20 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, Shall apply to be the Islamic Republic of Iran with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

"Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and Government of the Islamic Republic of Iran"

The Government of the Republic of India and Government of the Islamic Republic of Iran "hereinafter referred to as the Parties";

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows:

Article 1

Duty to Extradite

(1) Each Party undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one Party, is found within the territory of the other Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

(3) In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Art 2, if it is committed in a third state by a national of the Requesting Party and the Requesting Party bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and it would be an offence under the law of the Requested Party punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2

Extradition Offences

An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if under the law of that Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting Party.

Article 4

Grounds for Refusal of Extradition

(1) Extradition may be refused if:

(a) The person sought to be extradited is a citizen of the Requested Party at the time of commission of an offence;

(b) The persons satisfies the Requested Party that it would be unjust to extradite him because of lapse of time;

(c) The request for extradition is contrary to the Constitution or domestic laws of the Requested Party; and

(d) The offence of which he is accused or convicted is of a political character. However, the following shall not be considered as offences of political character:

(i) murder, culpable homicide not amounting to murder, assault causing bodily harm, kidnapping, or hostage taking;

(ii) offences relating to terrorism including offenses relating to firearms or other weapons, or explosives, or dangerous substances, or offences involving serious damage to property or disruption of public facilities;

(iii) any offence within the scope of international conventions to which both the Parties are parties; and

(iv) any attempts or conspiracy to commit any of the above.

(2) The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that Party.

(3) A Person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited, unless the sentence of the sought person is at least 6 months of imprisonment.

(4) A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested Party relating to previous acquittal or conviction.

Article 5

Extradition and Prosecution

(1) If extradition is refused pursuant to the provisions of Clause 1 (a) of Article 4 of this Treaty, the Requested Party shall prosecute the accused person and initiate criminal proceedings against him/her in its own courts. In such cases, the Requesting Party shall provide the Requested Party with reasons and evidence related to the offence.

(2) Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reasons set out in other clauses of paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that Party.

(3) If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 6

Postponement of surrender

(1) If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the Requested Party, or he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.

(2) The person sought may not be extradited, until it has been decided in accordance with the law of the Requested Party that he is liable to be extradited.

Article 7

Extradition Procedures

(1) The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channels.

(2) The request shall be accompanied by:

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence, including, if possible, his photographs and fingerprints;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and

(c) the text, if any, of the law

(i) defining that offence; and

(ii) prescribing the maximum punishment for the offence.

(3) If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting Party and by such evidence as, according to the law of the Requested Party, would justify his committal for trial; as also evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

(4) If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:

(a) by a certificate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried.

(5) In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he had been accused of the offence of which he was convicted.

(6) If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested Party shall require.

Article 8

Provisional Arrest

(1) In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested Party, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting Party. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested Party.

(2) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of (60) days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Article 9

Rule of Specialty

(1) Any person who is returned to the territory of the Requesting Party under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting Party for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than:

(a) the offence in respect of which he was returned;

(b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or

(c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.

(2) The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting Party or his return under this Treaty and ending (30) thirty days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting Party.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4) A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the Party to which he has been surrendered, he has not done so within thirty (30) days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 10

Evidence

(1) The authorities of the Requested Party shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated:

(a) (i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting Party; and .

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Ministry of the Requesting Party; or

(b) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested Party.

(2) The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested Party whether sworn or affirmed in the Requesting Party or in some third State.

Article 11

Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Party and a third State with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Party.

Article 12

Capital Punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 13

Surrender

(1) If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested Party to such convenient point of departure from the territory of that Party as the Requesting Party shall indicate.

(2) The Requesting Party shall remove the person sought from the territory of the Requested Party within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested Party. If he is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence.

Article 14

Surrender of Property

(1) When a request for extradition is granted, the Requested Party shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting Party articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.

(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested Party, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.

(3) These provisions shall not prejudice the right of the Requested Party or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested Party without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article 15

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 16

Documents and Expenses

(1) All extradition requests and documents shall be submitted in one of the official languages of the Requesting Party and accompanied by their translation in to English language.

(2) Expenses incurred in the territory of the Requested Party by reason of the request for extradition shall be borne by that Party.

(3) The Requested Party shall make all the arrangements which shall be requisite with respect to the representation of the Requesting Party in any proceedings arising out of the request.

Article 17

Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 18

Central Authorities

(1) Requests for extradition under this Treaty shall be made through the Central Authorities of the Parties.

(2) In the Republic of India the Central Authority is the Ministry of External Affairs and in the Islamic Republic of Iran, the Central Authority is the Judiciary. (Ministry of Justice)

Article 19

Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the implementation and interpretation of this Treaty shall be settled through mutual consultation and negotiation.

Article 20

Final Provisions

(1) The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.

(2) This Treaty shall be ratified according to the legal formalities provided in the Constitution and domestic laws of both Parties and shall enter into force on the date of sending the last notice by one Party to the other on the fulfillment of all necessary legal formalities for enforcement of this Treaty.

(3) Either of the Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channels; and if such notice is given, the Treaty shall cease to have effect six month after the receipt of the notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in two originals at Tehran this the 02nd day of November 2008, each in Hindi, Persian and English, all languages being equally authentic. In case of any doubt, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of India	On behalf of the Government of Islamic Republic of Iran
Sd/-	Sd/-
H.E. Pranab Mukherjee	H.E.
Minister of External Affairs	Minister of Justice

[F.No. T-413/07/2004]

AMRIT LUGUN, Jt. Secy. (CPV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.29 20:49:52 +05'30'